



भारत सरकार

जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
(नजारत शाखा)
अति अल्पकालिन निविदा

दिनांक—24.01.2019 को माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारम्भ दिनांक—24.01.2019 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम, जिले से सुनिश्चित है। आयोजन हेतु अति अल्पकालिन निविदा दिनांक 22.01.2019 को 3.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 22.01.2019 को 4.00 बजे अपराह्न समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में खोली जाएगी। जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ की आपूर्ति एवं मात्रा निम्न है—

| Sl no | Description | Quantity |
|-------|--|--|
| 1 | दोपहर का सामान्य भोजन 1. चावल 150 ग्राम, 2. दो पुड़ी, 3. एक सब्जी, 4. दाल 100 ग्राम, 5. पापड़, 6. भुजिया, 7. आचार 8. एक मिठाई | न्यूनतम 1000 व्यक्तियों के लिए, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। |
| 2 | वी०वी०आई०पी० स्नैक्स 1. काजू फ्राई 2. काजू बर्फी 3. पिस्ता बादाम 4. सॉल्टेड बादाम 5. बिस्किट | अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। |
| 3 | वी०वी०आई०पी० भोजन 1. भेज राईस 150 ग्राम, 2. दो रोटी, 3. दो सब्जी, 4. दाल फ्राई 100 ग्राम, 5. सलाद 100 ग्राम 6. रायता 100 ग्राम 7. पापड़, 8. भुजिया, 9. आचार 10. दो मिठाई | अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। |

उपरोक्त क्रमांक 01 से 03 तक सामाग्री उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालिन निविदा हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं -

1. निविदाकर्ता द्वारा पूर्व में अतिविशिष्ट व्यक्तियों यथा महामहिम राज्यपाल अथवा माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कार्य करने का पूर्व अनुभव रहा हो। ऐसे निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. निविदाकर्ता को 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. GST and Income Tax Registration प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. 03 वर्षों का Income Tax Balance sheet प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो प्रतिवर्ष न्यूनतम 30 (तीस) लाख रुपये का अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
5. अग्रधन के रूप में 50000.00 (पचास हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम पर देय करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
6. Food Safety से संबंधित 05 वर्ष का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उपरोक्त निविदा को किसी भी क्षण निरस्त/रद्द/संशोधित करने का संपूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

निविदादाता के द्वारा दोनों लिफाफा अलग-अलग जमा करना होगा तथा एक लिफाफे के उपर Technical Bid तथा दूसरे लिफाफे पर Technical Bid लिखा होना चाहिए।




जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 27/नजारत, दिनांक 19/01/2019

प्रतिलिपि :- जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि जिला के वेबसाईड www.chaibasa.nic.in पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सॉफ्ट कॉपी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि 03 (तीन) समाचार पत्रों में के स्थानीय संस्करण में अबिलम्ब प्रकाशित करवाना सुनिश्चित किया जाय।



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

| | |
|----------------------|---|
| विज्ञापनकर्ता का नाम | श्री अमित कुमार |
| पदनाम | निदेशक, DRDA-सह-वरीय पदाधिकारी, नजारत शाखा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। |
| ई-मेल | ddc-wss@nic.in |
| पत्रवाहक का नाम | श्री धमेन्द्र कुमार चौधरी |
| पदनाम | प्रधान लिपिक |
| मोबाईल नम्बर | 8296690646 |